"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 मार्च 2012—चैत्र 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/6/2012/वाक/पांच (14).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ-10-06/2012/वाक/पांच (13) दिनांक 29-03-2012 में दिनांक 01-04-2012 की प्रभावशीलता से निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 की प्रविष्टि क्रमांक 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ा जाय :—

"9. एफ-10-33/2007/वाक/पांच (24) 02-04-2007"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/6/2012/वाक/पांच (14).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2012/वाक/पांच (14), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/6/2012/CT/V (14).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby makes the following amendment in notification No. F-10-06/2012/CT/V (13) dated 29-03-2012, with effect from 01-04-2012 :—

AMENDMENT

In the second para of said notification, after entry number 8 the following entry shall be added :—

"9. F-10-33/2007/CT/V (24) 02-04-2007"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/6/2012/वाक/पांच (15).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10-06/2012/वाक/पांच (13) दिनांक 29-03-2012 की अंग्रेजी प्रति के संबंध में निम्नानुसार शुद्धि पत्र जारी किया जाता है :—

शुद्धिपत्र

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में अंक "2011" के स्थान पर अंक "2012" तथा अंक "2012" के स्थान पर अंक "2013" प्रतिस्थापित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2012

क्रमांक एफ-10/6/2012/वाक/पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/6/2012/वाक/पांच (15), दिनांक 31-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st March 2012

NOTIFICATION

No. F-10/6/2012/CT/V (15).—The following corrigendum is being issued in respect of English version of notification No. F-10-06/2012/CT/V (13) dated 29-03-2012, issued by the State Government in exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) :—

CORRIGENDUM

In the second para of said notification the figure "2011" the figure "2012" and the figure "2012" the figure "2013" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
XAVIER TIGGA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.